रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 1998/पौष 25, 1919
No. 29] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 1998/PAUSA 25, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1998

का. आ. 43(अ).—केन्द्रीय सरकार, गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 40 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इस आदेश का नाम गोवा, दमण और दीव औद्योगिक विकास तथा गोवा हस्तशिल्प, ग्रामीण एवं लघु उद्योग विकास निगम, दमण, दीव तथा दादरा और नागर हवेली की बहुप्रयोजन विकास निगम (आस्तियों और दायित्वों का विभाजन) आदेश, 1997 है।

2. यह सितम्बर, 1997 को प्रवृत्त होगा।

परिभाषा :—इस आदेश में, संदर्भ में से अन्यथा अपेक्षित न होने पर—

(क) नियत दिन से इस आदेश के प्रारंभ की तारीख अभिप्रेत है।

(ख) "गोवा निगम" से गोवा, दमण और दीव औद्योगिक विकास निगम, गोवा हस्तशिल्प ग्रामीण एवं लघु उद्योग विकास निगम तथा आर्थिक विकास निगम गोवा अभिप्रेत है तथा इसमें ये शामिल हैं।

3. गोवा निगमों की आस्तियों का अन्तरण :—

(1) इस आदेश के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, नियत दिन को तथा उससे गोवा निगम की समस्त भूमि, मशीनरी, स्टोर्स, सामान तथा अन्य वस्तुएं—

(क) यदि गोवा राज्य के भीतर स्थित हो तो वे गोवा निगमों को अंतरित हो जाएगी तथा उनमें निहित होगी,

(ख) यदि दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित हो तो वे दमण और दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली की बहुप्रयोजन औद्योगिक विकास निगम को अंतरित होगी तथा उसमें निहित होगी,

और

(ग) उपर्युक्त खंड (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले किसी अन्य मामले में वे गोवा निगमों को अंतरित होगी और उसमे निहित होगी।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजनार्थ "भूमि" से किसी भी प्रकार की स्थावर संपत्ति तथा इस प्रकार की संपत्ति पर कोई भी अधिकार अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है।

(2) नियत दिन को गोवा निगमों के खाते में बही मूल्य के शेष का प्रभाजन गोवा निगमों तथा दमण और दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली की बहुप्रयोजन औद्योगिक विकास निगम के बीच जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया जाएगा।

4. संविदाएं : जहां, नियत दिन से पूर्व गोवा निगमों ने कोई संविदा की हो तो वह संविदा :—

(क) यदि संविदा का प्रयोजन केवल दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित हो, तो दमण और दीव एवं दादरा और नागर हवेली बहुप्रयोजन औद्योगिक विकास निगम द्वारा की गई समझी जाएगी,

(ख) अन्य किसी मामले में गोवा निगमों द्वारा की गई समझी जाएगी और तदनुसार उस संविदा के अंतर्गत उद्भूत हुए या होने वाले सभी अधिकार और दायित्व उस सीमा तक जिस तक कि वे गोवा निगमों की आस्तियां और दायित्व होते, यथास्थिति, दमण और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली बहुप्रयोजन औद्योगिक विकास निगम अथवा गोवा निगमों के होंगे।

5. गोवा निगमों की शेयर पूंजी तथा दायितवों का अन्तरण—गोवा निगमों द्वारा प्राप्त शेयरों तथा ऋणों के संबंध में इसकी शेयर पूंजी तथा दायित्व, दमण और दीव, दादरा एवं नागर हवेली बहुप्रयोजन औद्योगिक विकास निगम तथा गोवा निगमों में उसी अनुपात में प्रभाजित की जाएगी जिस अनुपात में उन स्कीमों, जिनके लिए गोवा निगमों द्वारा शेयर तथा ऋण प्राप्त किए गए थे, पर नियत दिन से पूर्व किया गया व्यय दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र तथा गोवा राज्य में आने वाले क्षेत्रों में उक्त शेयरों तथा ऋणों से किया गया हो।

परन्तु यह कि 30 मई, 1987 से प्रारंभ तथा नियत दिन से ठीक पहले की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र द्वारा गोवा निगमों को किया गया शेयरपूंजी अंशदान के समतुल्य राज्य की आस्तियां पैरा 3 में उल्लिखित आस्तियां के अन्तरण के अतिरिक्त दमण और दीव एवं नागर हवेली में बहुप्रयोजन औद्योगिक विकास निगम को अंतरित किया जाएगा।

6. अवशिष्ट उपबंध : गोवा निगम की उन आस्तियों और दायित्वों का लाभ या भार जिनका पूर्ववर्ती उपबंधों में उल्लेख नहीं हुआ है :—

(क) यदि आस्तियां दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है या दायित्व वहां उद्भूत होते हैं, तो वे दमण और दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली बहुप्रयोजन औद्योगिक विकास निगम को स्थानांतरित हो जाएगी, और

(ख) किसी अन्य मामले में गोवा निगम का लाभ या भार होगा।

7. **गोवा निगम के व्यय्र और राजस्व का प्रभाजन :**

भूतपूर्व गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के 30 मई, 1987 से प्रारंभ होने वाली गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के क्रियाकलाप के संबंध में नियत दिन के ठीक पहले की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान गोवा के निगम द्वारा अर्जित राजस्व और उपगत व्यय के अन्तर की प्रतिपूर्ति गोवा निगम द्वारा दमण और दादरा नागर हवेली औद्योगिक बहुप्रयोजन औद्योगिक विकास निगम को या दमण और दादरा नागर हवेली बहुप्रयोजन औद्योगिक विकास निगम को की जाएगी।

8. विधि कार्यवाहियां : जहां नियत तारीख के ठीक पहले गोवा निगम, इस आदेश के अधीन दमण, गोवा और दादरा तथा नागर हवेली बहुप्रयोजन औद्योगिक विकास निगम को अन्तरित किसी संपत्ति, अधिकार या दायित्व के संबंध में किसी विधिक कार्यवाही की पक्षकार हो, वहां दमण, दीव और दादरा तथा नागर हवेली बहुप्रयोजन औद्योगिक विकास निगम को उन कार्यवाहियों में निगमों के स्थान पर पक्षकार माना जाएगा और कार्यवाहियां तदनुसार चलीत रहेगी।

9. गोवा निगमों के कतिपय कर्मचारियों से संबंधित उपबंध—

गोवा निगम का ऐसा प्रत्येक कर्मचारी जो नियत तारीख से ठीक पहले दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत था, इस आदेश द्वारा दमण और दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली बहुप्रयोजन औद्योगिक विकास निगम का कर्मचारी बन जाएगा और वहां उसी अवधि तक, उसी पारिश्रमिक पर, उन्हीं शर्तों और निबंधनों के अधीन, उन्हीं बाध्यताओं छुट्टी और छुट्टी किराया रियायत, कल्याण स्कीम, चिकित्सा फायदों, बीमा भविष्य निधि, अन्य निधियों, सेवा निवृत्ति स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, विशेषाधिकारों उपदान से संबंधित उन्हीं अधिकारों को प्राप्त करेगा जो उसे गोवा निगमों में सेवारत होने पर तब मिलते जब यह आदेश लागू न हुआ होता है, और दमण, दीव और दादरा तथा नागर हवेली के बहुप्रयोजन औद्योगिक विकास निगम के कर्मचारी के रूप में प्राप्त करता रहेगा। यदि कर्मचारी, नियत तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली बहुप्रयोजन औद्योगिक विकास निगम का कर्मचारी न बने रहने का विकल्प देता है तो नियत तारीख से छह मास की अवधि तक प्राप्त करता रहेगा।

[फा. सं.-ए. 13034(20)95-जी.पी.]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 1998

S.O. 43(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 40 of the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. Short title and commencement—(1) This Order may be called the Goa, Daman and Diu Industrial Development and Goa Handicrafts, Rural and Small Scale Industries Development Corporation, Omnibus Industrial Development Corporation of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Division of Assets and Liabilities) Order, 1997.

2. It shall come into force on the September, 1997.

Definition : In this Order, unless the context otherwise requires—

(a) "Appointed day" means the date of commencement of this Order.

(b) "Goa corporation" means and includes the Goa, Daman and Diu Industrial Development Corporation, Goa Handicrafts Rural and Small Scale Industries Development Corporation and the Economic Development Corporation, Goa.

3. Transfer of Assets of Goa Corporations—

(1) Subject to the other provisions of this Order, on and from the appointed day all land, machinery, stores, articles and other goods belonging to the Goa Corporation shall—

(a) if situated within the State of Goa, stand transferred to and shall vest in the Goa Corporation;

(b) if situated within the Union Territory of Daman and Diu, stand transferred to and shall vest in the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman and Diu and Dadra and Nagar haveli; and

(c) in any other case not covered under clause (a) and (b) above, in the Goa Corporations.

Explanation—for the purpose of this clause, "land" shall mean and include immovable property of every kind and any right in or over such property.

(2) The balance on book value, standing to the credit of Goa Corporation on the appointed day shall be apportioned between the Goa Corporation and the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli according to the population ratio.

4. Contracts.—Where, before the appointed day, the Goa Corporation have made any contract, the contract shall be deemed to have been made :—

(a) if the purposes of the contract are exclusively relatable to the Union Territory of Daman and Diu, by the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli;

(b) in any other case, by the Goa Corporation and accordingly, all rights and liabilities which have accrued or may accrue under any such contract shall, to the extent to which they would have been the rights and liabilities of the Goa Corporation, be the rights and liabilities of Omnibus Industrial Development Corporation of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli or the Goa Corporation, as the case may be.

5. Transfer of share capital and liability of Goa Corporation—The share capital and liability of the Goa Corporation in respect of shares, and loans received by it shall be apportioned between the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli and the Goa Corporation in the same proportion in which expenditure on account of Schemes for which the shares and loans were obtained by the Goa Corporation has, before the appointed day, been made out of the said shares and loans in the Union Territory of Daman and Diu and the area within the State of Goa.

Provided that the share capital contribution made by the Union Territory of Daman and Diu to the Goa Corporation commencing from the 30th May, 1987 and ending on the date immediately preceding the appointed day, an equivalent amount of assets shall be transferred to the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli in addition to the transfer of assets mentioned in paragraph 3.

6. Residuary provision.—The benefit or burden of any assets or liabilities of the Goa Corporation not dealt with in the foregoing provisions shall :—

(a) if the assets are situated, or the liability arises, in the Union Territory of Daman and Diu shall stand transferred to the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli; and

(b) in any other case, continue to be the benefit or burden of the Goa Corporation.

7. Apportionment of expenditure and revenue of Goa Corporation—

The difference between the revenue earned and the expenditure incurred by the Goa Corporation during the period commencing from the 30th May, 1987 of the erstwhile Union Territory of Goa, Daman and Diu and ending on the date

immediately preceding the appointed day in respect of its activities in the Union Territory of Daman and Diu should be reimbursed to the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman and Dadra and Nagar Haveli by the Goa Corporation or vice-versa.

8. Legal proceedings.—Where, immediately before the appointed day, the Goa Corporation party are to any legal proceedings with respect to any property, rights or liabilities transferred to the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli under this Order, the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli shall be deemed to be substituted for the Goa Corporation as party to those proceedings and the proceedings be continued accordingly.

9. Provisions relating to certain employees of Goa Corporation—

Every employee of the Goa Corporation, who, immediately before the appointed day, was serving in the Union Territory of Daman and Diu, as from the appointed day, become, by virtue of this order, the employee of the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli and shall hold his office or service therein by the same tenure at the same remuneration, upon the same terms and conditions, with the same obligations and with the same rights and privileges as to leave, leave fare concession, welfare scheme, medical benefit scheme, insurance, provident fund, other funds, retirement, voluntary retirement, gratuity and other benefits as he would have held under the Goa Corporations if this order had not come into force and/shall continue to do so as the employee of the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli or until the expiry of a period of six months from the appointed day if such employee opts not to continue to be the employee of the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman and Diu and Dadra Nagar Haveli within such period.

[F. No. U-13034/20/95-GP]

P.K. JALALI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.